राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3( )आ.कृ./लेखा/बजट/प्रतिबद्व/2021–22/ दिनांक :

परिपत्र

विभागीय परिपत्र क्रमांक 2078–2242 दिनांक 01.07.2021 द्वारा बजट का उपयोग करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

IFMS पर उपलब्ध व्यय आंकडो का अवलोकन करने पर पाया गया है कि अधिकतर अधिनस्थ कार्यालयो के द्वारा यात्रा व्यय मद में कोई व्यय नहीं किया गया हैं, जबकि इन कार्यालयो को वर्ष 2020–21 में बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराई गई बकाया दायित्वों की सूची को ध्यान में रखते हुए बजट आवंटन किया गया था एवं बकाया दायित्वो के आधार पर ही वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट प्रावधान लिया गया है।

बकाया दायित्वों के आधार पर किये गये बजट प्रावधानो का समय पर उपयोग नहीं होने पर वित्त विभाग द्वारा नाराजगी जाहिर की जाती है एवं संशोधित अनुमानो में कटौति कर दी जाती है, जो विभाग के लिए एक खेद जनक स्थिति है।

यह भी देखा गया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बजट उपलब्ध होने पर भी बकाया दायित्वों के भुगतान नहीं किया जाकर बिलों को लम्बित रखा जाता है, जिसके कारण कार्मिको द्वारा सी.एम. पोर्टल/सम्पर्क पोर्टल पर शिकायते दर्ज होती है, जो कि कार्य के प्रति बेहद गंभीर लापरवाही का द्योतक है।

अतः यात्रा व्यय मद में दिनांक 30.06.2021 तक के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर मुख्यालय को निम्न प्रपत्र में सूचना प्रेषित करावें :–

कार्यालय का नाम :

वर्षवार लम्बित दायित्वों का विवरण :–

वर्ष	राशि	लम्बित रहने के कारण
2019–20		
2020–21		
2021–22 (30.06.2021 तक)		
योग		

उपरोक्त वांछित सूचना दिनांक 28.07.2021 तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें। **यदि आपके कार्यालय में कोई यात्रा बिल बकाया नहीं है तो भी उक्त प्रपत्र में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित शून्य की सूचना प्रेषित करावें, जिन कार्यालयों द्वारा उक्त सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी उनके विरूद्व आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।**

यह भी सुनिश्चित किया जावे कि आप के कार्यालय अन्तर्गत किसी भी कार्मिक के दिनांक 30.08.2021 से पूर्व की अवधि के कोई भी यात्रा बिल प्रस्तुत किया जाना शेष नहीं है। कार्मिक द्वारा यात्रा पूर्ण करने के तत्काल बाद सात दिवस में एवं अधिकतम पन्द्रह दिवस में यदि यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे कार्मिक के विरूद्ध भी आपके स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

चिकित्सा व्यय में बजट आवंटन की मांग करते समय विभागीय परिपत्र क्रमांक 2916–2117 दिनांक 07.08.2020 की पालना सुनिश्चित करावे एवं बजट आवंटन की मांग भी दिनांक 28.07.2021 तक मुख्यालय को प्रेषित करावें।

बजट का उपयोग नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जावे एवं अनावश्यक यात्रा व्यय एवं चिकित्सा व्यय के दावो को लम्बित नहीं रखा जावे।

इसे अति आवश्यक समझा जावें।

-sd-
(डॉ0 ओमप्रकाश)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक : प.3( )आ.कृ./लेखा/बजट/प्रतिबद्ध/2021–22/3149-3315 दिनांक : 26/07/21

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. प्राचार्य, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा/उप.नि.कृ.(प्रशिक्षण) टोंक।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कृषि (पौध व्याधि/वनस्पति/गुण नियंत्रण), दुर्गापुरा जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि (खण्ड) .....।
5. समस्त उप निदेशक, कृषि (गुण नियंत्रण)/(मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला) .....।
6. उप निदेशक, कृषि (खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र) कोटा।
7. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् .....।
8. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) .....।
9. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी .....।
10. उप निदेशक, कृषि (शष्य) मलिकपुर/चित्तौडगढ़/सुमेरपुर/बूंदी/करणपुर/ तबीजी फार्म, अजमेर/ रामपुरा जोधपुर/ हनुमानगढ़/लूणकरणसर।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ए.सी.पी.) को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवावें।

(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार